भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2120

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना

2120. **श्रीमती शांभवी :**

श्री राजेश वर्मा :

डॉ. लता वानखेड़े :

श्री अरुण भारती :

डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित विशेष न्यायालयों (एफ़टीएससी) की सक्रिय स्थापना ने त्वरित न्याय सुनिश्चित किया है, जिसमे आम महिलाओं और बच्चों को अत्यधिक सुरक्षा और समय पर न्याय मिला है ;

(ख) यदि हाँ, तो विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान इन समर्पित विशेष न्यायालयों द्वारा बड़ी संख्या में सफलतापूर्वक और तेजी से निपटाए गए बलात्कार और पॉक्सो के लंबित मामलों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या इस समयबद्ध न्यायिक तंत्र ने सफलतापूर्वक जघन्य अपराधों पर एक बड़ी रोक लगाई है जिसमे अपने आस-पास रहने वाले आम नागरिकों की रोजमर्रा की सुरक्षा में काफी वृद्धि हुई है ;

(घ) संवेदनशील, बाल अनुकूल गवाह परीक्षण कक्षों के साथ इन अदालतों को तुरंत चालू करने के लिए राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली भारी केंद्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) संवेदनशील नाबालिगों से जुड़े मामलों में शून्य स्थगन सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा इन अदालतों की कड़ी डिजिटल निगरानी अनिवार्य करने के लिए योजनाबद्ध भावी रूप-रेखा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित विचारण के लिए अक्टूबर, 2019 में विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों

(एफटीएस) की स्थापना के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। शुरू में, स्कीम 389 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 1,023 एफटीएस की स्थापना के लिए थी। स्कीम को दो बार बढ़ाया गया है, अंतिम विस्तार 790 एफटीएस की स्थापना के लिए 31.03.2026 तक वैध है। स्कीम को अस्थायी रूप से 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। 30.06.2026 तक उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 399 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 779 एफटीएस कार्यरत थे। स्कीम की शुरुआत से लेकर 30.06.2026 तक, इन न्यायालयों ने 3,96,940 मामलों का निपटारा किया है, जबकि 2,56,097 मामले लंबित हैं। पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान, एफटीएस द्वारा मामलों का निपटान निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	मामलों का निपटारा किया गया
2024–25	84359
2025–26	62884
2026-27 (30.06.2026 तक)	14371

एफटीएससी स्कीम का उद्देश्य देश भर में एफटीएससी, विशेष पॉक्सो (ईपॉक्सो) न्यायालयों की स्थापना करके पीड़ितों को समयबद्ध न्याय प्रदान करना है, जिससे बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम के मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में, नीति आयोग द्वारा एफटीसीएस स्कीम का एक प्रभाव मूल्यांकन किया गया था, जिसमें यह देखा गया कि त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीसी) स्कीम ने त्वरित न्याय प्राप्त करने, लंबितता को कम करने और लैंगिक अपराधों के शिकार, विशेष रूप से महिलाओं और बालकों के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है।

(घ) और (ङ) : एफटीसीएस स्कीम के अधीन निधियों को ऐसे न्यायालय की लागत को कवर करने के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (केंद्रीय हिस्सा: राज्य हिस्सा :: 60:40, 90:10) के पैटर्न पर जारी किया जाता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद उन्हें धनराशि वापस कर दी जाती है। न्यायालयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने अपनी स्थापना के बाद से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 1259.51 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

जहां तक बाल-मित्र अवसंरचना का संबंध है, त्वरित निपटान विशेष न्यायालय विद्यमान न्यायालय परिसरों के भीतर असुरक्षित साक्ष्य निक्षेपण केंद्र के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिससे पीड़ितों को सुविधा मिल सके और बाल-मित्र न्यायिक वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, वीडब्ल्यूडीसी के संचालन और प्रबंधन के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए, उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल

की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश उच्च न्यायालयों ने तब से असुरक्षित साक्ष्य निक्षेपण केंद्र (वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर्स) स्कीम को अपनाया है, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

एफटीएससी के कामकाज को मजबूत करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और उच्च न्यायालयों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। माननीय विधि और न्याय मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन समय पर कार्रवाई और समय सीमा के सख्त अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में लिखा है। इसके अतिरिक्त, न्याय वितरण में अंतर-सरकारी समन्वय में सुधार लाने के लिए अंतर-राज्यीय क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में एफटीसी के प्रदर्शन को नियमित रूप से शामिल किया जाता है।
